राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(44)नविवि/3/2009 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक :– 27 NOV 2019

आदेश

सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अजमेर, जोधपुर एवं कोटा के प्रारूप मास्टर प्लान के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कोटा मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात अधिसूचना क्रमांक प. 10(3)नविवि/3/80 पार्ट–। दिनांक 22.11.2017 के द्वारा लागू किया जा चुका है। जोधपुर एवं अजमेर में मास्टर प्लान–2031 प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है। जब तक जोधपुर एवं अजमेर मास्टर प्लान प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाकर लागू नही किया जाता, तब तक प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

(i) वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रभावी मास्टर प्लान (2023) के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जावे

तथा

(ii) वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित नये राजस्व ग्रामों के क्षेत्र में प्रारूप मास्टर प्लान्स के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जावे। बशर्ते प्रारूप मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई हो।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय